



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230792
CG-DL-E-28102021-230792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 2021/कार्तिक 6, 1943

No. 321]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2021/KARTIKA 6, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2021

सं. 31/2015-2020

विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 2.107 (एफटीए/सीईसीए के तहत टीआरक्यू) में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/63/एएम-21/पीसी-2 (ख)/ई-27749.—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा अधिसूचना सं. 51/2021-सीमाशुल्क दिनांक 22.10.2021 की तालिका 4 के अनुसार भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए) के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत मदों के आयात की प्रक्रिया के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015-20 दिनांक 07 सितम्बर, 2021 और सं. 24/2015-20 दिनांक 17 सितम्बर, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

विवरण	एचएस सं.	डब्ल्यूटीओ के अनुसार में/बाहर कोटा दर (%)	इन-कोटा प्रशुल्क दर	अधिसूचना	प्रशुल्क दर कोटा मात्रा
टूना	16041410	-	0%	सं. 51/2021- सीमाशुल्क दिनांक 22 अक्टूबर, 2021	7000 टन सभी वस्तुओं हेतु संयुक्त रूप से
अन्य	16041490	-	0%		
अन्य तैयार अथवा संरक्षित मछली	16042000	-	0%		

रम 2ली. अथवा उससे कम रखने वाले कंटेनर में	22084011	-	0%	1.50 मिलियन लीटर सभी वस्तुओं हेतु संयुक्त रूप से
अन्य 2ली. अथवा उससे कम रखने वाले कंटेनर में	22084012	-	0%	
अन्य: ---- रम	22084091	-	0%	
अन्य: ---- अन्य	22084092	-	0%	
# आयात एफटीपी 2015-20 के परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक-III में यथा निर्धारित व्यवस्थाओं/प्रक्रियाओं के अधीन अनुमत में होगा।				

2. एफटीपी 2015-20 के परिशिष्ट 2क का संशोधित अनुलग्नक-III इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में संलग्न है।
3. केवल वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 हेतु आयात प्राधिकार-पत्र प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन 31 दिसम्बर, 2021 तक जमा किए जाएंगे जिसमें अन्य तौर तरीके वही होंगे।
4. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**

भारत-मॉरीशस सीईसीपीए पर अधिसूचना सं. 51/2021-सीमाशुल्क दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 की तालिका 4 में सूचीबद्ध मदों हेतु टीआरक्यू मात्रा में संशोधन किया गया है। डीजीएफटी में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि को 31.10.2021 से बढ़ाकर 31.12.2021 कर दिया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

परिशिष्ट-2क का अनुलग्नक- III

भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के टीआरक्यू के तहत मदों का आयात

(विदेश व्यापार महानिदेशालय की सार्वजनिक सूचना सं. 31/2015-2020 दिनांक: 28 अक्टूबर, 2021)

- (i) भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के तहत टीआरक्यू के तहत आयात की जाने वाली मदों की कुल मात्रा निम्नानुसार होगी:-

क्र. सं.	आइटीसी (एचएस) कोड	विवरण	प्रशुल्क दर कोटा मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	06031900	ताजा :- अन्य	15 टन
2.	08043000	अनानास	1000 टन
3.	08109060	लीची	250 टन
4.	09051000	वनिला : न तो क्रश किया हुआ और न ही पिसा हुआ	15 टन
5.	09052000	वनिला : क्रश किया हुआ या पिसा हुआ	1 टन
6.	16041410	टूना	7000 टन सभी वस्तुओं हेतु संयुक्त रूप से
7.	16041490	अन्य	
8.	16042000	अन्य तैयार या संरक्षित मछली	
9.	17011490	विशिष्ट चीनी	15000 टन
10.	22030000	माल्ट से बनी बीयर।	2,000,000 लीटर
11.	22060000	फ्रूट वाइन: अन्य किण्वित पेय (उदाहरण के लिए, साइडर, पेरी, मीड, सेक); किण्वित पेय पदार्थों का मिश्रण और किण्वित पेय और गैर-अल्कोहलिक पेय का मिश्रण, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं।	5000 लीटर

12.	22084011	रम 2ली. अथवा उससे कम रखने वाले कंटेनर में	1.50 मिलियन लीटर सभी वस्तुओं हेतु संयुक्त रूप से
13.	22084012	अन्य 2ली. अथवा उससे कम रखने वाले कंटेनर में	
14.	22084091	अन्यरू रम	
15.	22084092	अन्यरू अन्य	
16	6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109; 6110; 6111; 6112 और 6203; 6304	परिधान की वस्तुएं और वस्त्र संबंधी सहायक सामग्री.*	7.5 लाख नग **

* उपर्युक्त सीमाशुल्क अधिसूचना की तालिका 3 के अनुसार एचएस कोड का विवरण।

** 7.5 मिलियन नग के कुल कोटा में से, ऐसी सभी मदों के कुल जोड़ कम से कम 5 मिलियन नग भारत से प्राप्त यार्न/फैब्रिक के द्वारा विनिर्मित होने चाहिए।

ii. ये आयात निम्नलिखित व्यवस्थाओं/प्रक्रिया के अधधीन अनुमत होंगे:-

- क. आयात भारत-मॉरीशस सीईसीपीए से संबंधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 31 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 25/2021-सीमाशुल्क (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधधीन होंगे।
- ख. सभी आवेदनों के साथ मॉरीशस में विनिर्दिष्ट मदों के पात्र निर्यातकों में से एक के साथ पूर्व-क्रय समझौता अवश्य होना चाहिए। पूर्व क्रय समझौता में मात्रा, किंवा संविदा की पूर्ति की अवधि अवश्य इंगित होनी चाहिए। मॉरीशस से मद के पात्र निर्यातक फर्मों की सूची मॉरीशस सरकार द्वारा तय की जाएगी।
- ग. आयात खेप की निकासी के समय, भारत में आयातक को मारीशस में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी उद्गम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- घ. इन आयातों के मामले में वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात् भारत में वित्त वर्ष होगा।
- ङ. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र मंजूर करने के लिए सभी आवेदन डीजीएफटी वेबसाइट (www.dgft.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन की वास्तविक प्रतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- च. आबंटन आवेदित मात्रा के अधधीन पात्र आवेदकों में बराबर रूप में किया जाएगा। अपेक्षित शुल्क के साथ एएनएफ 2ड. और एएनएफ-1 में आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। आवेदन अगले वित्त वर्ष में आवंटन के लिए वित्त वर्ष के 28 फरवरी तक भेजा जाना चाहिए तथापि, मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, आवेदन 31 दिसम्बर, 2021 तक आमंत्रित किए जाते हैं जहां अन्य तौर तरीके समान रहेंगे।
- छ. टीआक्यू प्राधिकार पत्र में आयातक का नाम और पता, आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी), सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या यथा प्रयोज्य प्रशुल्क मद, मात्रा और प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि होगी।
- ज. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को ट्रांसमिट किया जाएगा।
- झ. टीआरक्यू के तहत किए जाने वाले आयात को केवल आईसीईएस प्रणाली में डेबिट करने पर ही अनुमत किया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th October, 2021

No. 31 /2015-2020

Subject : Amendment in Para 2.107 (TRQ under FTA/CECA) of Handbook of Procedure 2015-2020.

F. No. 01/93/180/63/AM-21/PC-2[B] /e-27749.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Directorate General of Foreign Trade hereby

makes following amendments in the Public Notice No. 23/2015-20 dated 7th September, 2021 and No. 24/2015-20 dated 17th September 2021 regarding procedure for import of items under Tariff Rate Quota (TRQ) under India - Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) in accordance with Table 4 of Notification No. 51/2021-Customs dated 22.10.2021 as under:

Description	HS No.	In/out of quota rate (%) as per WTO	In-quota Tariff rate	Notification	Tariff Rate Quota Quantity
Tunas	16041410	-	0%	No. 51/2021-Customs dated 22 nd October, 2021.	7000 tons combined for all goods
Other	16041490	-	0%		
Other prepared or preserved fish	16042000	-	0%		
In containers holding 2 l or less: ----Rum	22084011	-	0%		1.50 million litres combined for all goods
In containers holding 2 l or less: ----Other	22084012	-	0%		
Other: ---- Rum	22084091	-	0%		
Other: ---- other	22084092	-	0%		
# Imports will be permitted subject to the arrangements /procedure as laid down in Annexure-III of Appendix-2A of FTP 2015-20.					

2. The revised Annexure III of Appendix -2A of FTP 2015-20 is **enclosed** at Annexure to this Public Notice.

3. The applications for grant of TRQ authorization for the current financial year 2021-22 only shall be **submitted through the DGFT website (www.dgft.gov.in) upto 31st December 2021, with other modalities being the same.**

4. Effect of this Public Notice:

TRQ quantity for the items listed in Table 4 of Notification No. 51/2021-Customs dated 22nd October, 2021 on India-Mauritius CECPA has been revised. The date for submission of online applications with DGFT has been extended from 31.10.2021 to 31.12.2021

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Annexure-III to Appendix-2A

Imports of Items under the TRQ of the India- Mauritius CECPA

[DGFT Public Notice No. 31/2015-20 dated 28.10.2021]

(i)The total quantum of items that can be imported under India- Mauritius CECPA shall be as follows :

S.No.	ITC(HS) Code	Description	Tariff Rate Quota Quantity
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	06031900	Fresh : -- Other	15 tons
2.	08043000	Pineapples	1000 tons
3.	08109060	Lichi	250 tons

4.	09051000	Vanilla : Neither crushed nor ground	15 tons
5.	09052000	Vanilla : Crushed or ground	1 ton
6.	16041410	Tunas	7000 tons combined for all goods
7.	16041490	Other	
8.	16042000	Other prepared or preserved fish	
9.	17011490	Specialty Sugar	15000 tons
10.	22030000	Beer made from malt.	2,000,000 litres
11.	22060000	Fruit Wine: Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sake);mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.	5000 litres
12.	22084011	In containers holding 2 l or less: ---- Rum	1.50 million litres combined for all goods
13.	22084012	In containers holding 2 l or less: ---- Other	
14.	22084091	Other: ---- Rum	
15.	22084092	Other: ---- other	
16	6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109;6110; 6111; 6112 and 6203; 6304	Articles of Apparel and Clothing Accessories.*	7.5 million pieces**

**Details of the HS Codes as in Table 3 of the Customs Notification mentioned above*

*** Out of total quota of 7.5 million pieces, at least 5 million pieces of aggregate of all such items should have been manufactured from yarn/fabric sourced from India.*

- ii. These imports will be permitted subject to the following arrangements/ procedure:-
- Import would be subject to Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 25/2021-Customs dated the 31st March, 2021 (as amended from time to time) relating to India-Mauritius CECPA.
 - All applications must accompany a pre-purchase agreement from one of the eligible exporters of specified items in Mauritius. The pre-purchase agreement must indicate the quantity and the duration of fulfillment of the contract. The list of eligible exporting entities of the item from Mauritius shall be decided by the Government of Mauritius.
 - At the time of clearance of the import consignment, the importer in India must produce a Certificate of Origin issued by concerned authorities in Mauritius.
 - The year in respect of these imports will be the period from 1st April to 31st March, i.e. financial year in India.
 - All applications for grant of TRQ authorizations shall be submitted online through the DGFT website (www.dgft.gov.in). No physical copies of the application are required to be submitted.
 - Allocation will be made equally among the eligible applicant subject to quantity applied. The application in ANF 2M and ANF1 along with the requisite fee is required to be filed online. The application should be sent by 28th February of the financial year, for allocation in the next

financial year. **However, for the current Financial Year 2021-22, applications are invited by 31st December 2021 with other modalities remaining the same.**

- g. The TRQ authorisation shall contain the name and address of the importer, Importer -Exporter Code (IEC), Customs notification number, tariff item as applicable, quantity and validity period of the certificate.
- h. The TRQ authorisation shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to Indian Customs EDI System (ICES).
- i. Imports made against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system.